न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 181/11/ रिकार्ड दुरूस्ती

1. छिगनाराम उम्र 60 वर्ष | पुत्रगण गुमाना
2. गोपाल उम्र 55 वर्ष |
3. प्रभु उम्र 45 वर्ष |
4. लालचंद उम्र 40 वर्ष |

जाति कुम्हार निवासीगण खोखरोंका बास तन मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अं.धारा 131 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति–

1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 11.04.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 721/799 रकबा 0.05 है0, 726/797 रकबा 0.08 है0, 726/798 रकबा 0.03 है0, 727 रकबा 3.48 है0, 720 रकबा 0.81 है0 किता 5 कुल रकबा 4.45 है0 भूमि ग्राम खोखरोंकाबास तन मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमियां वादीगण की पैतृक संपदा है जो वादीगण को ना.करण सं. 296 द्वारा विरासत के आधार पर मिली है किन्तु वादीगण के स्वीगीय पिता गुमानाराम के नाम के आगे जाति कुम्हार की जगह जाति जाट नई पैमाइस (सैटिलमेंट) के वक्त सहवन से लगाया दिया गया था जबकि वादीगण के पिता की जमाबंदी 2043–46 में सही जाति कुम्हार लिखी गई है। अतः आवेदन स्वीकार कर आवेदन/वाद के मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों में वादीगण के नाम के आगे जाति जाट हजफ कर जाति कुम्हार अंकन कर रिकार्ड दुरूस्ती फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि प्रार्थीगण की जाति कुम्हार है। जमाबंदी संवत् 2043–46 में भी प्रार्थीगण के पूर्वज गुमाना पुत्र बाला की जाति कुम्हार अंकित है लेकिन ना.करण सं. 296 के पश्चात् जमाबंदी संवत् 2065–68 में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर जाट अंकित कर दी गई है जो दुरूस्ती योग्य है। ग्राम पंचायत, मोटलावास द्वारा जारी पहचान पत्र के अनुसार प्रार्थीगण की जाति है।
4. हमने प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2043–46 ग्राम गोगावास प.मं. मोटलावास पुराने खसरा नं. 335 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थीगण के पिता गुमाना की जाति कुम्हार अंकित है सैटिलमेंट के दोरान भी प्रार्थीगण के पिता गुमाना की जाति कुम्हार के स्थान पर जाट अंकित हो गई है जो वर्तमान जमाबंदी तक बदस्तूर है एवं ना.करण सं. 296 के द्वारा भी प्रार्थीगण की जाति जाट अंकित है जो दुरूस्ती योग्य है। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ग्राम गोगावास प.मं. मोटलावास की जमाबंदी संवत् 2043–46 अनुसार जमाबंदी संवत् 2065–68 नया राजस्व ग्राम खोखरोंकाबास में गुमाना के वारिसान प्रार्थीगण की जाति जाट के स्थान पर कुम्हार दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष इबारत मुताबिक जमाबंदी रहेगी। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।
5. यह निर्णय आज दिनांक 11.04.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

दांतारामगढ़